259 275

पत्र संख्या–3/एम–06/2009का. 9368/
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग ।
सभी विभागाध्यक्ष ।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।
महालेखाकार, बिहार, पटना ।

पटना–15, दिनांक 28 अगस्त, 2009

विषय :– सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 4674 दिनांक 15.05.92 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में कहना है कि उक्त परिपत्र के तहत, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं राज्य सरकार के बीच हुए विचार–विमर्श एवं सहमति के आधार पर विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई थीं । शर्तों में से एक शर्त यह भी रखी गयी कि जिस तिथि से विमुवित का आदेश निर्गत किया जायेगा, उसी तिथि से विमुक्ति का आदेश प्रभावी होगा ।

2. अब बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा माँग की गई है कि उपर्युक्त शर्त के कारण सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले में देय प्रोन्नति बाधित हो जाती है क्योंकि विभागीय परीक्षा से विमुक्ति की स्थिति रहने पर विमुक्ति आदेश का प्रभाव भूतलक्षी नहीं हो पाता है ।

3. उपर्युक्त आलोक में सम्यक्रुपेण विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परिपत्र संख्या–4674 दिनांक 15.05.92 की शर्त संख्या–2 को निम्नांकित शर्त से प्रतिस्थापित किया जाय :–

"2. विमुक्ति आदेश 50 वर्ष की आयु के पूरा होने के बाद आवेदन करने की तिथि से प्रभावी होगा ।"

4. अनुरोध है कि विभागीय परीक्षा से विमुक्ति के मामलों में इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से उपर्युक्त संशोधित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,

28/8/2009

(अजय कुमार चौधरी)
सरकार के उप सचिव ।